संख्या-10/2016/1300/38-3-2016-1101/2015

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 08 नवम्बर, 2016

विषय- अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की अवशेष स्वीकृतियां जारी करने विषयक अपने पत्र संख्या-154/बजट/2016-17, दिनांक 11 जुलाई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने विषयक शासन के पत्र संख्या-6/528/38-3-2015-1101/2015, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या-9/887/38-3-2016-1101/2015 दिनांक 17 अगस्त, 2016 एवं आपके पत्र संख्या-366/बजट/ 2016-2017 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्ताव एव शासन द्वारा मोटर गाडियों के क्रय हेतु निर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-1111/38-3-2016 दिनांक 28.9.2016 के क्रम में श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001- निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय) के मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 17,00,000.00 (रू0 सत्रह लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 15,42000/- (रू0 पंद्रह लाख बयालिस हजार मात्र) लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102 सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 1,01,28,000.00 (रू0 एक करोड एक लाख अट्ठाईस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 97,39000/- (रू0 सन्तानवे लाख उन्तालीस हजार मात्र) एवं लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय के मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 65,00,000.00 (रू0 पैसठ लाख मात्र) के सापेक्ष 28,99000/- (रू0 अट्ठाईस लाख निन्यानवे हजार मात्र) अर्थात मानक मद-14 के अन्तर्गत कुल रू0 1,41,80,000/- (रू0 एक करोड़ इकतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा निर्देशों को ध्यान मैं रख कर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनु-1 के पत्र संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2015, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम/आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत सुसंगत उप लेखाशीर्षक/ मानक इकाइयों के नामे डाली जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2016/1300/38-3-2016-1101/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, द्वारा आयुक्त, ग्रा म्य विकास।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।